

(14)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2024

रायपुर, दिनांक

/

/2024

//कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को "संविधान दिवस" के अवसर पर भारत के संविधान की "उद्देशिका" का समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पठन प्रातः 11.00 बजे किया जाना है।

अतः सचिवालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी संविधान की "उद्देशिका" के सामूहिक रूप से पठन हेतु व्ही. आई. पोर्च पर प्रातः 10.55 बजे उपस्थित होंगे।

आदेश से,



संचालक,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 12998 /वि.स./स्था./2024

रायपुर, दिनांक 25/11 /2024

प्रतिलिपि:-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

संचालक


छत्तीसगढ़ विधान सभा

उद्देशिका

हम, भारत के लोग,

भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी
पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिए,

तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता,

सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख
26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत्

दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को

अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।